खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 766 /खाद्य–आवंटन/2018 भोपाल, दिनांक 2-2-2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–कल्याणकारी एवं होस्टल योजना का कियान्वयन।

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 7–9/2007/29–1 दिनांक 18 जनवरी, .2018

––00––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत जारी अधिसूचना का कृपया अवलोकन करें जिसमें भारत सरकार के निर्देश के पालन में राज्य शासन की "**कल्याणकारी एवं होस्टल योजना**" को प्रकाशित किया गया है जिसकी प्रति संलग्न **परिशिष्ट–अ** अनुसार है। योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं –

1. <u>संस्थाओं के चयन की पात्रता</u>:–

(1) इस योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिये उन रहवासी संस्थाओं को चयनित होने की पात्रता है जिनके यहां केन्द्रीयकृत भोजन व्यवस्था (मेस) संचालित है।

(2) इस योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ावर्ग के केवल वह छात्रावास पात्र होगें जिनके 2 तिहाई रहवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ावर्ग से संबंध रखते है।

(3) इस योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिये निराश्रितों, दिव्यांगों एवं वृद्वों के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थायें भी पात्र हो सकेगी।

(4) इस योजना के अंतर्गत शामिल रहवासी छात्रावासों एंव कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु केन्द्र अथवा राज्य शासन से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिये।

2. <u>संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया</u>:–

(1) उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में संस्थाओं के चयन की प्रकिया विहित की गई है जिसके अनुसार संस्थाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(2) संस्था के संचालक को संस्था में निवासरत सभी रहवासियों का पंजीयन उक्त बेवसाईट पर संलग्न **परिशिष्ट–ब** में ऑनलाईन करना होगा। उक्त पंजीयन में रहवासियों को समग्र आई.डी., आधार नम्बर सहित अन्य अपेक्षित जानकारी ऑनलाईन भरनी होगी। तत्पश्चात उक्त जानकारी को ऑनलाईन संबंधित विभाग के पास सत्यापन हेतु भेजा जायेगा।

(3) संस्था/छात्रावास से संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी मोबाईल नम्बर, ईमेल तथा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकृत किया जायेगा।

(4) संस्थाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं संस्था के पंजीकृत रहवासियों के सत्यापन का कार्य संबंधित विभाग के जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सत्यापन के संबंध में संलग्न **परिशिष्ट–स** में प्रमाण–पत्र ऑनलाईन दिया जायेगा। प्रमाण–पत्र मोबाईल बेस्ड ओटीपी अथवा डिजीटल हस्ताक्षर आधारित होंगे। तदुपरांत आवेदन पत्र अपने अभिमत एवं स्पष्ट अनुशंसा के साथ जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा।

(5) अनुशंसा प्राप्त होने पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा कलेक्टर को इस योजना के अंतर्गत संस्था/छात्रावासों की सूची प्रदाय की जायेगी।

(6) कलेक्टर द्वारा दो सदस्यीय अन्तर विभागीय निरीक्षण दल का गठन किया जायेगा। जो संस्था का मौका निरीक्षण एवं सत्यापन कर संस्था का नवीनतम फोटोग्राफ सहित संस्था की भौगोलिक स्थिति एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन दर्ज करेगा।

(7) उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात कलेक्टर द्वारा हितग्राही की सीमा तक संस्थाओं का चयन किया जायेगा। यदि संस्थायें अधिक है तो अधिसूचना के कंडिका 01 में उल्लेखित प्राथमिकता क्रम में लाट के माध्यम से संस्थाओं का चयन किया जायेगा।

(8) चयनित संस्थाओं को संबंधित सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानों से मैप किया जायेगा। मैप की गई संस्थाओं को संलग्न **परिशिष्ट–स** अनुसार जिला आपूर्ति अधिकारी/जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा संस्थागत राशनकार्ड जारी किया जायेगा।

(9) प्रत्येक संस्था से ऐसे दो व्यक्ति के नाम पंजीकृत किये जायेंगे जो संस्था के लिये बायोमेट्रिक से राशन प्राप्त करेगें।

3. <u>खाद्यान्न की पात्रता एवं संचालन की शर्तें</u>:–

(1) इस योजना के अंतर्गत संस्था के रहवासियों को प्रतिमाह पॉच किलोग्राम खाद्यान्न की पात्रता होगी।

(2) संस्था द्वारा आवंटन उसी माह में उठाना होगा जिस माह के लिये वह जारी किया गया है।

(3) जिला आपूर्ति अधिकारी एवं जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संयुक्त हस्ताक्षर से उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी माह की प्रत्येक 05 तारीख को अपलोड किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर आगामी माह का आवंटन जारी नहीं किया जावेगा।

4. निगरानी तंत्रः–

(1) प्रत्येक संस्था को दी गई सामग्री के वितरण की निगरानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत गठित निगरानी समितियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा एवं इनका सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जायेगा।

(2) जिला कलेक्टर द्वारा संस्थाओं का औचक निरीक्षण कराया जायेगा जिसका प्रतिवेदन निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन भरा जायेगा। निरीक्षण में पायी गई रहवासियों की संख्या के आधार पर ही अगले माह की कुल मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।

(3) संस्था के किसी अवैधानिक एवं आसाजिक कृत्यों में लिप्त होने अथवा अनियमिता की शिकायत पर जांच में तथ्य सही पाये जाने पर संस्था को योजना के लाभ से वंचित किया जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

इस योजना के अंतर्गत ऑनलाईन प्रविष्ट हेतु एन.आई.सी. द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिसके प्रजेन्टेशन की हार्डकॉपी पृथक से आपको भेजी जायेगी।

उपरोक्त योजना का जिले में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये एवं शासन के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास एवं निराश्रित दिव्यांगों एवं वृद्धों के कल्याण हेतु कार्यरत् संस्थाओं के साथ–साथ राज्य शासन के विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त गैर–शासकीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास एवं निराश्रित दिव्यांगों एवं वृद्धों के कल्याण हेतु कार्यरत् संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल होने हेतु आवेदन करने के लिए सूचित किया जाये एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस योजना का जिले में सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाये एवं इस योजना के अंतर्गत संस्था/छात्रावासों के पंजीयन एवं रहवासियों के पंजीयन की कार्यवाही 20–फरवरी–2018 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें।

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्र. /खाद्य–आवंटन/2018 भोपाल, दिनांक 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास।
5. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sd

आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश, भोपाल